

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

दिनांक 13/5/2015

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी

दिनांक 18-9-15
को को कुकेश बलपुत्र
मान. द्वारा प्रस्तुत

बका
18915
50

1. महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी
लॉगरपुर द्वारा अध्यक्ष श्रीमती शांती धाकरे निवासी
67-विवेक नगर मेला ग्राउण्ड के पीछे ग्वालियर
तहसील व जिला- ग्वालियर
2. प्रताप बाहिनी समाज कल्याण संस्था ग्वालियर
द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धाकरे निवासी 67-विवेक नगर
मेला ग्राउण्ड के पीछे तहसील व जिला- ग्वालियर
विरुद्ध

1. बकीरसिंह पुत्र बाहरसिंह निवासी ग्राम-सिरौल,
तहसील व जिला-ग्वालियर
2. प्रदीप अग्रवाल पुत्र बी०एल० अग्रवाल
निवासी डी०एच० -4 रेसीडेन्सी सीता
मैनार के पीछे सिटी सेन्टर ग्वालियर
3. योगेश कपूर पुत्र एच०एच० कपूर निवासी गुरुद्वारा संतार
गुंजर शहर जिला- ग्वालियर - अनावेदकगण

13/5/2015

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झोंसीरोड जिला- ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक
44/2012-13 अगोल में पारित आदेश दिनांक 28-7-2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा
50 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1958.



(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3154/पीबीआर/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.05.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अंतरित किया जाता है।</p> <p>उभय पक्ष सूचित हो।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>